DR. BIPLAB DASGUPTA: It was.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, why didn't the Chief Whip of your party or the Member not think of it earlier? I hope to run this House according to certain rules. There have been so many irregularities going on in this House. At the last minute, Members just walk in and give their names. This is not the way. You have to take the House seriously. Now, I shall now put the question.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा.मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मै यह प्रस्ताव करता हूं कि –

'विधेयक को पारित किया जाए।'

The question was put and the motion was adopted.

THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1995

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) . उपसभापति महोदया, मै प्रस्ताव करता हूं कि –

"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, सहकारिता आंदोलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है। हमारे एनसीडीसी की तरफ़ से सहकारिता को जो ऋण दिये जाते थे, पहले वह राज्य सरकार की गांरटी पर दिए जाते थे, लेकिन आज के युग में सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओ का

विभिन्न क्षेत्रो में काफ़ी विस्तार हुआ है, इसलिए सरकार चाहती है कि यह जो एनसीडीसी है उसकी मार्फ़त विभिन्न क्षेत्र मै काम करने वाली इन सहकारी संस्थाओ को भी हम ऋण उपलब्ध करा सके । जो पहले कोपरेटिव की मार्फ़त काम करने का एक बंधा-बंधाया पैटर्न था, उससे हटकर हम चाहते है कि कृषि क्षेत्र में, पशु पालन के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में और जो अन्य जनसेवाओ के विभिन्न क्षेत्र है उनमें काम करने वाली जो सहकारी संस्थाएं है उनको हम राज्य सरकार की गारंटी के बगैर भी ऋण दे सके, यदि एनसीडीसी आश्वस्त हो जाए कि उनके पास ऋण अदा करने की शक्ति और सामर्थ्य है ।

महोदया, यह बिल वर्ष 1995 में विचार के लिए सदन में आया था और कई बार आकर चला गया । सबसे पहले 25 अगस्त, 1995 को यह बिल राज्य सभा में पुनःस्थापित हुआ । लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा 8 सितंबर, 1995 को स्टेंडिग कमेटी बनाई गई, जिसके पास विचार के लिए यह बिल गया, लेकिन 10 मई, 1996 को लोक सभा भंग हो गई और यह बिल पेंडिग हो गया । इसके बाद 2 अगस्त, 1996 को फ़िर से स्टेंडिग कमेटी गठित की गई और 17 दिसंबर, 1996 को कमेटी ने लोक सभा को अपनी रिपोर्ट दे दी । कमेटी के सुझाव मानते हुए 5 अगस्त, 1997 को कैबिनेट ने इसको पास कर दिया । 6 नवंबर, 1997 को राज्य सभा को सूचित किया गया । फ़िर योजना आयोग के पास बात गई और योजना आयोग की यह सिफ़ारिश आई कि इसको व्यापक रूप से तैयार करना होगा, इसलिए तत्काल इसको रोका जाए ।

महोदया, सरकार ने यह सोचा है कि इस विधेयक को, यथारूप जो प्रारूप है, तदनुसार सदन में लाकर सदन की हम इस पर अनुमति ले ले । योजना आयोग के जो सुझाव हैं या स्टेंडिंग कमेटी के जो सुझाव है उनको विस्तार के साथ सम्मिलित करके बाद में हम एक दूसरा विधेयक ले आएंगे और तब उस पर चर्चा करेंगे , अभी इस विधेयक को यथारूप पास किया जाए क्योंकि इस विधेयक से समाज में कमजोर वर्ग को, किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचना है और चूंकि विधेयक के इतने दिनों से लंबित रहने से एनसीडीसी द्वारा हम जो इनको लाभ देना चाहते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए मेरा आपकी मार्फ़त सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यह एक शुभ विधेयक है, इस पर कम से कम चर्चा कर इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाए, जिससे कोपरेटिव की मार्फ़त एक नए समाज के निर्माण में हम कारगर सिद्ध हो सकें, जो सरकार की मंशा है । धन्यवाद ।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no name from the Congress. So, I call Shri Kailash Joshi.

श्री कैलाश जोशी (**मध्य प्रदेश**) : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मेरे लिए यह बड़े संतोष की बात है कि उन्होंने यह कह दिया कि वे इस संबंध में और व्यापक संशोधन विधेयक लाएंगे । इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यह विधेयक मूलतः 1962 में बना था, 1974 में एक अनौपचारिक समिति बनी, उसके माध्यम से कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावो का समावेश करते हुए फ़िर एक संशोधन विधेयक लाया गया था ।

वह पारित हुआ था और समिति ने जो सिफ़ारिशे की थी, उनमें से कुछ सिफ़ारिशे स्वीकार भी कर ली गई थी । किन्तु जैसा मैने कहा, मै माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तब से आज तक परिस्थितियों में बहुत व्यापक परिवर्तन हो गया है । 1974 के बाद आज इन 18 वर्षो में सहकारिता के क्षेत्र में नई-नई संस्थाएं बनी है, उसके साथ ही साथ जो सम्बद्ध विषय है इस अधिनियम के उनके संबंध में अनेक नए-नए प्रयोग भी हमारे यहां प्रारम्भ हुए है,चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वन-उपज का क्षेत्र हो, चाहे पशुओं का क्षेत्र हो, सब में प्रयोग हुए है और सबसे बड़ा प्रभाव तो इस पर पड़ा है विश्व व्यापार समझोते के कारण । यह समझौता होने के कारण एक ओर जहां हमारे सामने नए-नए अवसर उपल्बध हुए है जिनके माध्यम से हम इस अधिनियम मे अंतर्गत निगम के माध्यम से रोजकार के और क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं जिसके कारण लोगों को व्यापक मात्रा में रोजगार मिल सकता है, परन्तु उसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी उत्पन्न हुए है, जो अभी तक सारे मात्रात्मक प्रतिबंध हट गए है, उसके कारण कुछ मामलो में विपरीत प्रभाव भी हमारे सहकारी क्षेत्रो मे पड़ा है, इस दृष्टि से इस पर बहुत व्यापक विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए मैने पहले ही कहा है कि यह मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में एक व्यापक विधेयक फ़िर से प्रस्तुत करेंगे ।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इस संबंध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो-तीन बातें मै बता देना चाहता हूं । एक तो इसमें उन्होने , जैसा कि पूर्व अधिनियम में था कि रॉ-कॉटन और जूट, ये सब उसमें सम्मिलित थे परन्तु बाद में उसमें से इनको हटा दिया गया था और अभी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस विधेयक में भी इनका समावेश नहीं किया गया है, इसमें से इनको हटा दिया गया है ,इस संबंध में मै मंत्री जी का ध्यान स्टेंडिग कमेटी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कि कमेटी ने कहा है –

> "The Committee, therefore, strongly feel and recommend that these agricultural produces, raw cotton whether ginned or unginned, raw jute, cotton seeds and vegetable oils should be diclassified under Agricultural Act original produce defined under section 2 of the principal Act."

मेरे मत मे यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कॉटन से मतलब केवल रॉ-कॉटन से ही नही होता है, कॉटन का मतलब रूई से होता है, धागे से होता है और आजकल बड़ी मात्रा में सहकारिता के माध्यम से भी ये उधोग देश मे चल रहे है । बड़े पैमाने पर भी , मध्य स्तर पर भी और लघु स्तर पर भी । हमारे यहां हैंडलूम का जो धागा बनता है वह धागा भी बाहर जाता है और वह कोआपरेटिव के माध्यम से भी बनते है । इसलिए मै मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस दिशा में बताएं और जैसा कि स्टेंडिग कमेटी ने अपनी सिफ़ारिश मे कहा है, इसको इसमें जोड़े । मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि इसमें जहां पर कोआपरेटिव लैंड ड्वलपमेंट बैंक का उल्लेख आया है उसके बारे में भी स्टेंडिग कमेटी ने कहा था और मेरा भी यह मत है क्योंकि प्रदेशों के बारे में मुझे जानकारी है कि वहां पर वह भूमि और सहकारी विकास बैंक उनको बोलते है और इसलिए स्टेडिंग कमेटी ने भी यह सुझाव दिया था कि इसमें इतना संधोधन कर दिया जाए कि यदि इस प्रकार की जो कोआपरेटिव लैंड ड्वलपमेंट बैंक है अगर उनके नामो में

कहीं परिवर्तन किया गया है तो उस परिवर्तन को भी इसमें जोड़ दिया जाए जिससे किसी प्रकार की आशंका न रहे। तीसरा और अंतिम सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आजकल बहुत बड़ी मात्रा में जैसे 1974 के संशोधन के बाद और अनुसूचित जाति और जनजाति की भी सहकारी समितियां बनी हैं और वह भी विभिन्न वस्तुएं बनाकर के सहकारिता के माध्यम से काम करती है। यह बैंक बड़ी दूर तक फ़ैले हुए है, बड़े नगरो में भी है और छोटे कस्बो में भी हैं। आपने बैंक मे मामले मे इसमे बैंक का तो उल्लेख किया है कि शैड्यूल्ड बैंक होगा, कोआपरेटिव बैक होगा लेकिन मेरा सुझाव यह होगा कि इसमें नागरिक सहकारी बैंक को भी जोड़ दिया जाए जिसके कारण ऎसे क्षेत्रो में जो सहकारी समितियां काम कर रही है, उनको उन बैंको से व्यवहार करने में सुविधा प्राप्त हो सके और यह रूरल कोआपरेटिव बैंक आजकल बड़े-बड़े शहरो में काफ़ी बन गए है और कस्बो तक पहुंच रहे है। इसलिए इनको भी इसमें जोड़ दिया जाए। यह मेरे तीन सुझाव इस विधेयक के संबंध में है।

अंत में मै एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैने कारपोरेशन की पिछले दो वर्षो की रिपोर्ट पढ़ी है । कारपोरेशन कार्य तो ठीक कर हा है लेकिन एक बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि बड़े उद्दोगो के क्षेत्र मे, मध्यम उधोगो के क्षेत्र में तो उनकी पहुंच है लेकिन ग्रामीण उद्दोगो, कुटीर उद्दोगो , छोटे उद्दोगो जो सहकारिता के माध्यम से देश भर मे चल रहे है उनकी ओर उनका लक्ष्य नही है बल्कि मै तो यह कह सकता हूं कि उनका दुर्लक्ष्य है। इसलिए मंत्री जी कम से कम उनको यह सुझाव देंगे क्योंकि आपके प्रतिनिधि उनकी बैठको मे नियमित रूप से जाते है, उन्हे यह सुझाव देंगे कि यह जो दलित वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग है, उन्होने जो सहकारी समितियां बना रखी है, जो इस कानून से सम्बद्व है, उनकी दिशा में यह प्रयास करें जिससे इसका लाभ उन सब तक पहुच सके जिससे कि 1974 में जो संशोधन किए थे इससे वह लोग भी लाभान्वित हो सके। इन शब्दो के साथ मै आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri R. Chandra Sekar Reddy.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I am not speaking.

SHRI CO. POULOSE (Kerala): Madam, this Bill is to strengthen the NCDC. It is a proposal to amend the Act. That was made in 1995. Due to various reasons, it was not possible to pass this law. Now, wherever cooperatives are operating, in many areas, they are facing difficulties under the present circumstances. In the past too it was not all right. But, after India entered into the WTO settlement, each and every agricultural commodity can be freely imported into India. The customs duty imposed in almost all cases is very low. It is far below the bound duty rate. The agricultural population is in difficulty and the cooperative societies should come to the help of the agricultural population in this country. That is the

main task of the cooperative movement today. The farming community is deprived of remunerative prices. The input cost of farming is increasing day by day. The electricity cost, the water cost and every other cost has gone up. In addition, the fertiliser cost as also the insecticide cost is going up. Cost of every type of input is going up. The farming community is finding it very difficult to go on. This is the second area where the cooperative movement of this country should concentrate on. Even in this difficult circumstances, our agricultural population was capable of improving our productivity and absolute production in various fields. The mechanism of the Minimum Support Price is applicable to many of the commodities. There are certain other agricultural produces which need to be brought under the umbrella of MSP, especially arecanut, coffee, cardamom and commodities like that. There are several other agricultural problems faced by the peasantry which the cooperative movement of today should concentrate on. The main agency to help the farming community is only the cooperative societies, the cooperative movements. All of us know, that the cooperative movement in our country is widespread. It is at the primary level, district level, and State level. Not only that, there are multi State levels and all India level cooperative movement. Taking all these cooperative societies, the cooperative movements together, we can say that the functioning of the cooperative movement is almost satisfactory. Now the regulation through the National Cooperative Development Corporation, as has been correctly pointed out, in planning and promoting programmes of production, processing, marketing, export-import of agricultural produces, production of foodstuffs, etc. are very much necessary. Now the Bill intends to include edible and non-edible oilseeds, cattle food, including oilcake, horticulture, animal husbandry, etc. in its purview. It is air welcome and good.

Regarding procurement and marketing, I want to mention certain aspects. If a cooperative society is directed to procure any of the commodities by the Government and selling the same commodities bring loss to the cooperative society, the Government should compulsorily compensate that cooperative society. In the case of copra procurement, in the case of rubber procurement and in the procurement of certain other commodities, there exists a great risk in the present day of great price fluctuation. The price level of many of the agricultural commodities has come down in recent years and many of the cooperative societies are in financial difficulty. Many of the industrial type of cooperative societies are

also in difficulty. The NCDC should bear the responsibility of supporting the cooperative movement in case the cooperative movement suffers loss due to changed circumstances. There should also be a system of risk guarantee for the societies engaged in agricultural and related marketing operations. The Government should come forward and establish such a system. As of now, the cooperative societies dealing in the above areas are only responsible for loss and oot the NCDC. The Minister in his opening speech has promised that the Government will come forward with a comprehensive Bill. The Government should see that this responsibility is shared by the NCDC in case of loss to the cooperative societies while dealing with such types of operations. Such a step is very necessary in the changed circumstances. Madam, that is all that I wanted to say today on this subject. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri S.S. Chandran. He is going to speak in Tamil. You speak such good Hindi, Mr. Chandran.

SHRI S.S. CHANDRAN (Tamil Nadu) : No, Madam. I am a good actor. I acted in 800 films *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know he is a very good actor. Has he acted in 800 Hindi movies?

SHRI S.S. CHANDRAN: No. I worked only in Tamil movies. But my Tamil movies were dubbed in Hindi also. I am a very famous actor in Tamil Nadu. I am also a familiar actor.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that. So, now you want your speech to be dubbed in Hindi. Okay. Agreed.

'SHRI S.S.CHANDRAN : Madam, Deputy Chairperson, I thank you for permitting me to speak on the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill on behalf of AIADMK. Madam, this Bill seeks ' to amend some provision of the original Act. In Section 2, sub-section I (a), the term 'Agricultural produce' has been redefined. The amendment seeks to include a few more items to the list. At the same item, items like 'raw cotton' and 'raw jute' are sought to be taken out of

† English translation of the original speech delivered in Tamil.

the list of agricultural produce. I request 4he Hon'ble Minister to tell the House as to why these items are taken out from the list. I hope the Hon'ble Minister would not say that I should ask the former Minister who introduced this Bill seven years ago.

Madam, under Section 5, sub-section 2(b), livestock and poultry feed are sought to be included. This is a welcome move. I say so because, it is only the poor who are benefited by the cooperative societies. The people in the rural areas are still dependent on the livestock for their sustenance.

Here I wish to make a pertinent point. When poor people approach these cooperative societies for small loans for the purchase or development of livestock, they are not given loans so easily. Many of them return disappointed. A person known to me ran from pillar to post for getting a small loan from the Cooperative Society. But he got nothing and fell sick. He could not even arrange a loan for his treatment and he died. This should not be the attitude of the Cooperative Societies.

Madam, it is only the poor who go to Cooperative Societies for getting loans under Central scheme. But the poor people are asked to produce wealth certificate showing their assets. He has nothing and that is why he is approaching for a loan. Then what is the point in asking about his assets and certificates. The nationalised banks, on the other hand, do not entertain them. This situation must change.

The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Jayalalitha Amma has announced a grand scheme in Tamil Nadu for the development of the State as well as the Cooperative Societies. A scheme to develop 50 lakh acres of wasteland has been taken up by the State Government. The salient feature of this Wasteland Development Project is to involve the Cooperatives. I request the Hon'ble Minister to implement such projects throughout the country. Madam, cooperative development should not be the development of those who manage them but of those poor people who come up to them.

I have a word about the loans owed by people to the Cooperatives. When the poor fail to repay their loan on time, the authorities take away their belongings including their livestock. But there are rich

people, business people who owe crores of rupees to the Government. Instead of recovering the loans from them, the Government should not chase the poor for the small loans owed by them. I hope the Hon'ble Minister will take notice of these points. With these words, I thank the Hon'ble Deputy Chairperson once again for giving me this opportunity to speak.

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, I rise to support this Amendment Bill. The National Cooperative Development Corporation Act was passed in 1962, and amended in 1973 and 1974. This amendment was proposed in the year 1995. The cooperative movement has a vital role to play in the economic growth of a country. Each State has cooperative legislations and many types of cooperative societies. The main objective of this Central Act is to extend a helping hand to the State cooperatives functioning in the different sectors of the society. Two studies have been carried out on the working of the National Cooperative Development Corporation. The first study on 'organization and management" was carried out in 1994 by the Indian Institute of Management, Ahmedabad, in fulfilment of all bank requirements of international development, credit in National Development Agency and credit in National Cooperative Development Corporation. The second study by an expert group, appointed by the Government of India was carried out in 1998. The findings of these studies related to the generation and appraisal of the proposals, reviewing and monitoring of the proposals, State intervention versus direct lending, sources of funds, information system, human resources management, etc. This Amendment has been proposed to fulfil the major demands of the cooperative sector, that is, direct lending to the cooperatives by the National Cooperative Development Corporation, without Government guarantee, and inclusion of live-stock, fisheries, industrial goods, agro-forestry, sericulture and allied activities, for the purpose of assistance by the National Cooperative Development Corporation. This corporation now extends a helping hand to the sick cooperative mills towards re-capitalisation. During the Ninth Five-Year Plan, a new component of re-capitalisation of the sick mills was included, which provided for table loan; investment loan; rescheduling of loan; reduction in the rate of interest, penal interest and other penalties; additional margin money; working capital; special terms of payment, etc. The existing cooperatives have been put on a sound track so as to achieve the goal of the National Cooperative Development Corporation. Excessive bureaucratic

control and needless administrative interference will lead to ineffectiveness in the cooperative sector. The Government assistance has to be increased. Mounting overdues, weakening recovery cycles, erosion of autonomy and declining self-reliance should be avoided. I hope this Amendment will be implemented in the right perspective. Sir, agricultural cooperative banks, cooperative marketing committees, cooperative warehouses and several other cooperative activities have helped the agricultural industry. The aim of this Amendment Bill is to authorise the Corporation to accept grants, donations, etc. from any agency in India or outside, and to empower the Corporation to waive, in suitable cases, conditions with regard to guarantee. It is a pioneering step in the cooperative sector. In this connection, I request the hon. Minister of Agriculture to hold consultations with the State Governments and try to extend the scope of the Cooperative Act to other sectors also. At present, it is limited only to activities like agriculture, weaving etc. I request the hon. Minister to explore the possibility of extending this to other sectors like Education, Health, Insurance etc. In 1970, when I sponsored an Arts and Science Institute, that is, the Arignar Anna College, in Kanyakumari district, I wanted to register that college in the cooperative sector. So, first, I applied to the Madurai Kamaraj University to register it as a Teachers' Educational Cooperative Society. They directed me to first get my Society registered; accordingly, I approached the Registrar of Cooperatives of Tamil Nadu. He refused to register this organisation on the ground that the Cooperative Act does not extend to Education and other fields. So, I had to change my mind, and, instead, I got it registered under the Societies Act, and the College is now running; under this Act.

Now, you see, the Government is regulating only Government and Government-aided colleges. In Tamil Nadu, the Government is not able to run the Government colleges. So, they are thinking of affiliating them to universities. The Government is able to regulate only aided-colleges. But self-financing colleges are coming up year after year. A numbei of colleges, throughout the country, are minting money. There is nobody to control them. They charge very heavy fee, in the form of capitation fee, or Annadurai donations, etc. So, I request the hon. Minister to have interaction with the State Ministers, to bring forward a legislation, under the State Cooperatives Act to register other societies also so as to take care of education, insurance, health care, etc. There are big hospitals, but the Bill is such that ordinary people cannot go there. With these words, I support the Bill.

4.00 p.m.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, माननीय जोशी जी अपने भाषण के क्रम में कुछ बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । जो स्टेंडिग कमेटी के सुझाव थे, उनमें से कुछ जो हमने इसमें समाहित किया है और सरकारी संशोधन जो प्रस्तुत है इसमें हमने उसमें से कई चीज़ो को लिया है । दो-चार चीज़ो को अभी हमने सम्मिलित नहीं किया है । यह बात जो उठाई गई थी कपास के मामले में और जूट के मामले में, ये कृषि उत्पाद है , एग्रीक्लचर प्रोड्यूस जिसको कहते है, उसको हमने इसमे सम्मिलित किया है । इसको सम्मिलित करने का अर्थ यह नहीं हैं कि इनको हमने उसमें से निकाल दिया है, अलग कर दिया है । हम जो एक्ट बनाने जा रहे है उसमें हमने दिया है एग्रिक्लचर प्रोड्यूस । उसकी डेफ़िनेशन देंगे, उसमे किन-किन चीज़ो को हमने सम्मिलित किया है, सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है,चाहे कपास हो या जूट हो, सभी कृषि उत्पाद हैं । इसके अलावा जो अन्य कृषि उत्पाद है , चाहे जिस नाम से पुकारे जाते है, वे उसी नाम से पुकारे जाएंगे और इनको हम उसमें सम्मिलित कर लेंगे । हमने इसको मान लिया है और हमें इसमे कोई आपत्ति नही हैं । जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि सर्विस के क्षेत्र मे इन-इन को सम्मिलित किया जाना चाहिए ,महोदया, सरकार का यह विचार है और सरकार की राय, हमारे एनसीडीसी के सभी लोग बैठकर तय करते है, उसमें हमारी दृष्टि यह है ....। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, हैल्थ केयर, एजुकेशन, इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट , मेंटेनेंस, रिपेयर्स, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, प्रिंटिग, रूरल हाउसिंग, अल्टरनेटिव सोर्सेस आफ़ एनर्जी इत्यादि । सर्विस के क्षेत्र में ये जितनी चीज़े है , अगर कॉ-आपरेटिव सोसायटीज आगे बढ़कर इन चीज़ो को करना चाहे तो एन.सी.डी.सी. की तरफ़ से उन्हे जितनी सुविधाएं चाहिए, बनाने के लिए कर्ज चाहिए, बुनियादी ढ़ांचा खड़ा करना है एन.सी.डी.सी किस की तरफ़ से हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है । उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, वे आगे आएंगे, हमसे मांगेगे तो हम उस पर विचार करेंगे । जहां तक सुद का सवाल को उठाया गया है कि एन.सी.डी.सी. की तरफ़ से सूद के प्रश्न होते है, इंट्रस्ट के प्रश्न होते है तो महोदया, संस्थाओं मैं बताना चाहूंगा कि हम कहीं से पैसा लाते है और हम बीच में खड़े होकर पैसा देकर कॉ-ऑपरेटिव स्स्थाओ को खड़ा करते है । हम जहां से पैसा लेते है उसमें अपना न्यूनतम से न्यूनतम हिस्सा निकालकर, लेकर आगे दूसरी कॉ-ऑपरेटिव संस्थाओ को देते है । हम मैकिसमम तेरह परसेंट से ज्यादा एन.सी.डी.सी। की तरफ़ से किसी से भी इंट्रस्ट नही लेते है । हम सवा बारह परसेंट पर कॉ-ऑपरेटिव संस्थाओ को ऋण देते है लेकिन आगे जब यह स्टेट फ़ेडरेशन कॉ-ऑपरेटिव को जाता है या डिस्ट्रिक्ट कॉ-ऑपरेटिव फ़ेडरेशन को जाता है , या एपेक्स को जाता है तो यहां शिखर से चलते-चलते सतह तक आने में रास्ते में जो सरकारी संस्थाएं है, वे अपनी व्यवस्था के लिए इस व्यवस्था को खर्च के तौर पर उसमे सूद को जोड़ती है । यह इसमें कुछ अधिक पड़ता है ।

उपसभापति : आप कितने परसेंट पर लेते है ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमे जहां से मिलता है, हमने पास किया है कि हमें आठ परसेंट, नौ परसेंट, जितने पर भी मिलेगा, हम प्राइवेटली या बैंक से लेते है ।

उपसभापति : आप आठ परसेंट पर लेकर तेरह परसेंट चार्ज करते है, आप पैसा बनाते है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव . हम आठ परसेंट पर ही नहीं लेते हैं । हम कहीं नौ परसेंट पर और कहीं दस परसेंट पर भी लेते है । हमें जहां से भी पैसा मिलता है वहां से लेकर देते हैं । दूसरी बात यह है कि जो समितियां हमारा कर्ज समय पर नही देती है, जिनके पास हमारा सूद रह जाता है, उस सूद को एक बार तय करके, छूट देकर, समझौता करके अपना पैसा वापिस लेते है । अभी तक हमारी व्यवस्था यह थी कि हम राज्य सरकारो से गारंटी लेते थे । राज्य सरकारे हमारी जमानतदार बनती थी और गारंटी देती थी कि उन कॉ-ओपरेटिव सोसायटीज को आप दे दीजिए, हम उन्हे दे देते थे , उसमें कई प्रकार के व्यवधान पैदा होते थे , जैसेकि हमने कर्ज दे दिया किसी स्पिनिंग मिल को दिया या कपड़ा बनाने वाले को, सूत कातने वाले या शुगर मिल को दिया । हमने यहां से तो पैसा दे दिया लेकिन वहां राज्य सरकार की तरफ़ से समय पर वह पैसा उस संस्था को, कॉ-ऑपरेटिव को रिलीज नही किया जिसके कारण हम आगे उन्हे ऋण देने में हाथ रोक लेते थे ताकि पहले जितना दिया है वह कॉ-ऑपरेटिव को रिलीज हो जाए । उनके सामने कुछ अच्छी कॉ-ऑपरेटिव सोसायटीज भी थी जो अपने आप में स्वावलंबी थी, अपना काम करती थी, व्यापार भी ठीक था, उनकी बैंलेंस शीट भी ठीक थी, उनकी पूंजी भी ठीक थी लेकिन उन्हे समय पर पैसा नही मिल पाता था । इसलिए हमने संशोधन किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जमानत के बिना भी अगर कोई कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी है, उनकी संपत्ति है, हमारा ऋण अदा करने की क्षमता है, शक्ति है , कारोबार बढ़िया है, संतोषजनक है, अगर हम संतुष्ट हो जाते है तो हम उन्हे सीधे भी एन.सी.डी.सी. से लोन लेकर दे देंगे जिससे कि वे हमारा लोन लेकर काम करे और इस काम को आगे बढ़ाएं । यही मोटी बात है जिसमे हमने उन्हे कई क्षेत्रो में बढ़ाया है । हमने एक चीज़ डिटेल में लिख दी है लेकिन उसमें कई चीज़े जुड़ जाएंगी । काफ़ी सारी चीज़ो को हम लाए है । जैसे खाद्य तेल, बागवानी , पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन है । जब हम कृषि कहते है, कृषि और पशुधन की बात साथ-साथ करते है तो कृषि और पशुधन का अर्थ है, कृषि आधारित जितने प्रकार के उत्पाद है या कृषि उत्पाद आधारित जितने प्रकार के प्रोसेसिंग कारखाने चलते है, जिनमे प्रोसेसिंग का काम चलता हो वे सब इसमे अपने आप ही सम्मिलित हो जाते है । लेकिन अगर हम इन सबको गिनने लगे कि आम का रस बनाना है, जूस बनाना है । अचार बनाना है या खटाई बनानी है तो हम ऐक्ट क्या बनाएंगे यह तो एनसाइक्लोतीडिया बनाना पड़ेगा । जब हमने एक बार कह दिया खाध और पशुधन अर्थात कृषि उत्पाद , खाध और पशुधन से जुड़े हुए, उनसे आधारित जितने प्रकार के रोजगार है, व्यापार है, कारोबार है और उनसे जुड़े जितने प्रकार की सहकारी समितियां काम करने वाली है, वे आएं । अब जो मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज हमने बनायी तो जो एक राज्य से कई राज्यों में काम करने वाली सहकारी समितियां है उनके लिए महोदया एक व्यापक आंदोलन समझा गया की इस सरकार ने एक सहकारी आंदोलन चलाया । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गो के लिए जो निकालते है उनका एक रिकार्ड है । हम इसमें सहकारी समितियो को सहायता भी देते है । अपनी ओर से उनको हम सब कुछ देगे । एन.सी.डी.सी. द्वारा स्वीकृत किए गए , महोदया, अब तक जो हमने कर्ज दिए है वह रिकार्ड है । हम ने ऋण देने का काम किया है और उससे भी ज्यादा इस साल से हमने प्रारंभ किया है कि देश भर में एपेक्स हो या श्रमिक सहकारी समिति हो, अभी थोड़े दिन पहले देश भर की 24 सहकारी समितियों को चुनकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करके उनको पुरूस्कार देने का काम किया । तो राष्ट्रीय स्तर पर एपेक्स से लेकर ऊपर तक विभिन्न क्षेत्रो में जो सहकारी समितियां काम करती है, सफ़लता प्राप्त करती है जिनका काम अच्छा है , उनको हमने

50 हजार रुपए अपनी ओर से पुरुस्कार देने का काम किया है जिससे कि इस आंदोलन में इसका काम करने वाले लोग आगे आकर बढ़े ।

माननीय सदस्यों ने कई बातें उठायी है । तो सरकार की तरफ़ से एक टास्क फ़ोर्स बना है । मेरी अध्यक्षता में कई राज्यो के उसमे कोआपरेटिव मिनिस्टर्स है । 20 तारीख को कोआपरेटिव मिनिस्टर्स के अलग-अलग ग्रुप बने थे । उनकी बैठक मैने बुलायी है । उनमें उनकी राय आएंगी । 24 या 25 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जी ने देश के सभी कृषि मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया है । इसलिए इस सरकार के द्वारा सहकारिता आंदोलन को हम ले जाना चाहते हैं कि सहकारिता आंदोलन गांवो तक जाए, गांवों के कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग है, किसान हैं, सीमान्त और लघु किसान हैं या जो गांव में रहने वाले लोग है, वे सहकारी समितियों के मारफ़त अनेक क्षेत्रो में रोजगार, व्यापार के काम को अपने हाथ में ले, जो किसानो के बेटे है , शिक्षित बेरोजगार है, कोई रोजगार उनके पास नही है, वे भी सहकारी समितियो का रजिस्ट्रेशन, निबंधन कराएं । सहूलियत के साथ निबंधन करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे और उसकी मारफ़त शिक्षित बेरोजगार आएं , काम करें । अगर कॉ-ऑपरेटिव के मारफ़त कोई एग्री क्लिनिक खोलना चाहता है, एग्री बिजिनेस करना चाहता है, हम उनके लिए भी ये सारे द्वारा खोल रहे हैं अर्थात सहकारी आंदोलन की तरफ़ से नये समाज की रचना के लिए, गांवो के उत्थान के लिए, किसानो के स्वाभिमान के लिए यह सरकार कृत संकल्प है । इसलिए यह विधेयक लाया गया है । अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आगे भी सहकारी आंदोलन आगे बढ़ेगा । माननीय सदस्यो के जो सुझाव आएंगे उनको समाहित करेंगे । यह कोई अंतिम बिल नही है । जरूरत पड़ेगी तो फ़िर इससे भी व्यापक बिल ले आ करके समाज के उत्थान में हम सहयोगी बनेगे ।

यथारूप इस विधेयक को पास किया जाए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

"That the Bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the clause-by-clause consideration of the Bill. We take up clause 2. There is one amendment, by the Minister.

खण्ड-2 वृहत नाम का संशोधन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव . महोदया, मै प्रस्तुत करता हूं कि

(3) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर "और सहकारी सिद्धान्तों और उससे संबंधित मामलो के आधार पर कुछ अन्य जिसो" शब्दो के स्थान पर "औद्योगिक सामानों,पशुधन, कुछ अन्य जिंसो और सहकारी सिद्धान्तों पर आधारित सेवाओ और

उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक मामलो के लिए' शब्दो को प्रतिस्थापित किया जाए ।

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up clause 3. There are five amendments, by the Minister.

खण्ड-3 **धारा** 2 **का संशोधन**

श्री हुक्म्देव नारायण यादव . महोदया, मै प्रस्तुत करता हूं कि-

a पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 2 से 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात

"(iv) वनोद्योंग की उपज;

1 कुक्कुट पालन की पैदावार;

2 मत्स्य पालन की पैदावार;

3 "अन्य सहबध्द क्रियाकलापो की पैदावार चाहे ये कृषि के साथ संयुक्त रूप से किए जाते है अथवा नही;"

(5) पृष्ठ 2 पर पंक्ति 12 के स्थान पर-

" या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत दि इंडस्ट्रियल फ़ाइनेंस कारपोरेशन आफ़ इंडिया लिमिटेड या दि इंडियन कंपनी ऍक्ट, 1913 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ़ इंडिया लिमिटेड" प्रतिस्थापित किया जाए ।

b पृष्ठ 2 पर पंक्ति 24 में "सहकारी भूमि विकास बैंक " या उसका चाहे जो नाम हो, जो नाम हो, प्रतिस्थापित किया जाए ।

c पृष्ठ 2पर पंक्ति 34 से 37 तक के स्थान पर —

"(घ घ) राष्ट्रीयकृत बैंक से बैककारी कंपनी

(उपक्रमो का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमो का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी "राष्ट्रीय कृत बैंक अभिप्रेत है; प्रतिस्थापित किया जाए ।

(8) पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 के स्थान पर, " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

अधिनियम, 1981 में" प्रतिस्थापित किया जाए ।

The *questions were put and the motions were adopted.*
Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clauses 4 to 7 were added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up clause 1. There is one amendment, by the Minister.

खण्ड-1, **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव . महोदया, मै प्रस्तुत करता हूं कि-

(2) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में, "1995" अंक के स्थान पर "2002" अंक प्रतिस्थापित किया जाए ।

(2) ^ 1 tR, qfof 4 if, "1995" 3T^ fc WRtR "2002" 3T3T ufcUvilftd f^JT oTTCJI

Tfre *question was put and the motion was adopted.*
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Enacting Formula. There is one amendment, No.1, by Shri Hukumdeo Narayan Yadav.

ENACTING FORMULA

श्री हुक्मदेव नारायण यादव . महोदया, मै प्रस्तुत करता हूं **.**

4 कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "छियालीसवें वर्ष' के स्थान पर "तिरेपनवां वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए ।

The *question was put and the motion was adopted.*
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव . महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं **:**

कि संशोधित रूप में ,इस विधेयक को पास किया जाए ।

The *question was put and the motion was adopted*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Today, we have passed three Bills. Now, I have got the fourth Bill, the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001. There are only two speakers. I think, we will pass it quickly. *...{Interruptions)...*

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): No, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the meaning of "no"? Mr. Bagrodia, what do you mean by saying 'no' to the Chair? May I know this thing from you? If my eyes are bad, you can come over here and see for yourself the names of the speakers. *..{Interruptions)...* The Bill is, the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001. I am talking about the names. I have got only two names. Mr. Santosh Bagrodia, are you saying 'no' to the names of the speakers or 'no' to the Bill?

SHRI SANTOSH 6AGRODIA: Madam, we are talking about the Bill.

आपने कोस्ट गॉर्ड कहा तब हम खड़े हो गए । **...(व्यवधान)...** आपने कोस्ट गॉर्ड कहा, हम समझते है कि कोस्ट गॉर्ड मायने क्या होता है । **...(व्यवधान)...**

उपसभापति . मैं तो नाम की बात कर रही हूं । **...(व्यवधान)...**

श्री संतोष बागड़ोदिया : हम समझते है कि कोस्ट गॉर्ड का मतलब क्या होता है । **...(व्यवधान)...**

THE DEPUTY CHAIRMAN: You do not want the coast to be guarded. Do you want this Bill to be passed or not?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, we want the coast to be guarded. *...(Interruptions)...* But, we want a different person to guard our coast. We do not want them to be guarded under him. *...[Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think the Minister is going to guard the coast. *...(Interruptions)...*

श्री संतोष बागड़ोदिया : सब इनके नाम में होता है । डिफ़ेंस मिनिस्ट्री में इतना घपला हुआ है, उसके बाद आप **...(व्यवधान)...** जो अपने घर को गॉर्ड नहीं कर सकता, वह हिन्दुस्तान के कोस्ट को कैसे गॉर्ड करेगा ? **...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया (**झारखंड**) : महोदया, यह क्या कह रहे हैं, इनको खुद भी नही मालूम । Madam, we cannot pass the Bill like this. *...(Interruptions)...*

उपसभापति . एक मिनट बैठिए । **...(व्यवधान)...** बैठिए, आप बैठ जाइये । सवाल यहां व्यक्ति का नही हैं । सवाल यहां यह है कि आप अपने कोस्ट को गॉर्ड करना चाहते हैं या नही करना चाहते, यह जवाब दे दीजिए । **...(व्यवधान)...**

श्री लालू प्रसाद (**बिहार**) . महोदया, बिल तो इंट्रोड्यूस होना चाहिए । **...(व्यवधान)...** आगे क्या आ रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या बिल इंट्रोडयूस कर रहे है, वह बात तो आनी चाहिए ।

उपसभापति : अभी तो आई नही है । **...(व्यवधान)...**

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Madam, let him introduce the Bill.

श्री लालू प्रसाद: आप मूव कराइये, सरकार मे कौन लोग मूव कर रहे हैं । **...(व्यवधान)...**

उपसभापति . देखिए, मैने यह कहा कोस्ट गॉर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर डिसकशन, लेकिन नो की आवाज़ यहां से आई, तो नो किस चीज़ की आप कह रहे हो ? यदि नो नामों के ऊपर कह रहे हो, तो यहां आ कर देख लो कि यहां दो ही नाम है । I was talking about the two names that I have, because, one hon. Member from the AIADMK, Shri N. Jothi, came to me and informed me that he will speak on the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001 today. Then, from the DMK, Shri S. Viduthalai Virumbi, wanted to speak on this Bill. These are the two names which I am having. I do not have any other name. *...{Interruptions)...* The Bill was introduced long back. It has come for consideration now. Now let me, at least, go ahead. Without properly listening to me, you started saying "no". I think, now, there is a habit of saying "no", because you have been saying "yes" all the time. Now, let me go ahead. Shri George Fernandes to move the motion for consideration of the Coast Guard (Amendment) Bill, 2001. *...(Interruptions)...*

* **श्री लालू प्रसाद** : महोदया, ये तहलका डॉट कॉम में दागी है । **...(व्यवधान)...**महोदया, ये तहलका डॉट कॉम में देश और दुनिया भर में **...(व्यवधान)...**His appointment is illegal. He has resigned, and an enquiry is going on. *...{Interruptions)...*